राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1518/2025

श्रीभगवान मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख एवं नियंत्रक, एमबीएस अस्पताल, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधीक्षक के पद पर महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, नयापुरा, कोटा में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जेएलएन चिकित्सालय, अजमेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण मात्र 6 माह की अल्पावधि में ही किया गया है तथा अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है। जबकि अपीलार्थी अगस्त, 2026 में सेवानिवृत्त होने जा रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानांतरण आदेश नियम विरूद्ध है। अधिकरण द्वारा भी अपील संख्या 3216/2024 में ऐसे आदेश को अनुचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक कारण से लोकहित में किया गया है। अपीलार्थी कोटा में वर्ष 2010 से निरंतर कार्यरत है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी को सेवानिवृत्त होने में डेढ वर्ष से भी अधिक का समय है। फिर भी अपीलार्थी अपनी कठिनाइयों के आधार पर यदि अभ्यावेदन विभाग में देना चाहता है तो वह देने के लिये स्वतंत्र है। परंतु आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होने के आधार पर अधिकरण द्वारा स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष